बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एक विधान सभा का कार्य-विवरण सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि, १९ सितम्बर १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

आवेदन-पत्रों की अविलम्ब कार्रवाई।

*१०। श्री लक्ष्मी कान्त तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिले में सदर सबडिवीजन के एस० डी० ओ० सदर सबडिवीजन की बन्दूक की दरखास्तों के सिलसिले में एस० डी० ओ० और आर्म्स मैजिस्ट्रेट का कार्य करते हैं जिससे डुपलिकेशन ऑफ वर्क होता है;

(२) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिला आर्म्स मैजिस्ट्रेट के यहां ४ मई, १० मई एवं १७ मई, की भेजी हुई बन्दूक की दरखास्तें पड़ी हुई हैं और इन्हें वे लौटाने की कभी भी चेष्टा नहीं करते जिसके चलते आवेदकों में काफी असंतोष और नैराश्य है;

(३) क्या यह बात सही है कि आर्म्स मैजिस्ट्रेट जब अपनी सिफारिश देकर आवेदन-पत्रों को जिलाधीश के पास भेजते हैं तो उनके यहां भी इन दरखास्तों की वही हालत होती है जो आर्म्स मैजिस्ट्रेट के यहां अकसर हुआ करती है;

(४) यदि खंड (२) और (३) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शाहाबाद जिलाधीश के डुपलिकेशन ऑफ वर्क को हटाने के लिये किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को इंचार्ज बनाने के लिये आदेश देने का विचार करती है और इस नाजायज तौर से रोके जाने वाली दरखास्तों के लिये कौन-सी कार्रवाई करने को सोचती है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) शाहाबाद जिले के लिये, जिसमें सदर सबडिवीजन भी शामिल है, एस० डी० ओ०, सदर, आर्म्स मैजिस्ट्रेट का काम करते हैं। इस हद तक काम में डुपलिकेशन होता है, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं देखी गई है।

(२) इसका उत्तर ना है।

(३) इसका उत्तर ना है। आर्म्स मैजिस्ट्रेट अपनी सिफारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां दरखास्त भेजते हैं।

(४) यह सवाल नहीं उठता है।

विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक :

Legislative Business : Official Bills :

बिहार मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ (१९५५ की वि० सं० २५)।

THE BIHAR MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER (AMENDMENT) BILL, 1955 (BILL NO. 25 OF 1955).

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—मैं दी बिहार मेंटेनेंस आफ पब्लिक आॅर्डर (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

दी बिहार मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आॅर्डर (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय......जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें और जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें............मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है........।

श्री रामानन्द तिवारी—विपक्ष में बहुमत है।

अध्यक्ष—इस तरह के इंट्रोडक्शन के स्टेज में अपोज करना उचित नहीं है, इसका विरोध करने का अवसर आपलोगों को बहुत मिलेगा।

श्री कृष्णगोपाल दास—यह तो असाधारण बिल है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है।

SPEAKER : Just now, I am concerned only with the procedure relating to the introduction of the Bill and not with its merit.

SRI KRISHNA GOPAL DAS : Sir, It is a lawless law.

Speaker : It may be anything ; I do not say that you should not oppose it. I do not shut out opposition, but just at present my concern is about the procedure only.

पुरःस्थापन की अवस्था में इसका विरोध नहीं करना चाहिये। ऐसी परिपाटी हमलोग मानते आये हैं। रूल के मुताबिक आप अपोज कर सकते हैं। मैंने अपनी सलाह दी है, जिस तरह की सलाह आप सब लोग बराबर मानते आये हैं।

*श्री मुंद्रिका सिंह—अध्यक्ष महोदय, रूल्स से ज्यादे तो हमलोग आपकी सलाह को मानते हैं और हमलोग आपकी सलाह को मान गये।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

दी बिहार मेंटेनेंस आफ पब्लिक आॅर्डर (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुमति दी गयी।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—मैं, दी बिहार मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

बिहार प्रिजर्वेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट आफ एनीमल्स बिल, १९५३ (१९५३ की वि० सं० ३०)।

THE BIHAR PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF ANIMALS BILL, 1953 (BILL NO. 30 OF 1953.)

श्री दीपनारायण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, दी बिहार प्रिजर्वेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनीमल्स बिल, १९५३ पर विचार हो।

इस अवसर पर मैं केवल एक-दो शब्द कहना चाहता हूं। यह बिल १९५३ के अप्रिल में पेश हुआ और कुछ बहस के बाद यह प्रवर समिति के हवाले किया गया। प्रवर समिति ने इस बिल की धाराओं पर विचार करके अपनी सिफारिश की थी और उसने एक रिपोर्ट इस असेम्बली में भी भेजी थी और उस पर सितम्बर, १९५४ में बिचार हुआ। फिर भी असेम्बली के माननीय सदस्यों ने यह वाजिब समझा कि इस बिल को फिर पुराने प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। कुछ सुझावों के साथ वह बिल पुराने प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। प्रवर समिति की अनेक बैठकें हुईं। जितने सुझाव प्रवर समिति के सामने रखे गए सब पर प्रवर समिति ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया। उसके बाद प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट फिर इस असेम्बली में गत १२ तारीख को पेश किया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि दुबारे जब प्रवर समिति ने इस बिल पर विचार किया तो पुरानी रिपोर्ट में जितनी बातें थीं, उनको अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया और एक नया संशोधन प्रवर समिति ने नयी रिपोर्ट में रख दिया। संशोधन का अर्थ यह है कि उस बिल में केवल गाय और बछरू के बध का निषेध किया गया था, वहां अब नये संशोधन के मुताबिक गाय, बछरू, बैल और सांड़ यानी पूरे गोवंश पर निषेध करने का प्रस्ताव दिया है।

यह एक मुख्य संशोधन नयी रिपोर्ट में प्रवर समिति ने किया है।

इस बिल पर पहले भी काफी बहस हो चुकी है; उसके बाद एक बार प्रवर समिति की रिपोर्ट पर भी बहस हुई। अब मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट पर अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को माननीय सदस्य मान लेंगे।

अध्यक्ष—आपका एक और नया संशोधन है, क्या उस पर नहीं बोलना चाहते हैं?

वह है कि चिकित्सा या अनुसंधान के काम के लिए इस तरह के पशु का वध किया जा सकता है।

श्री दीप नारायण सिंह—चिकित्सा और अनुसंधान के लिए बध करने की जो बात है उसमें निषेध की धारा लागू नहीं होगी।